न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।

प्रार्थना पत्र संख्या 243/2026

सरकार **बनाम** ऋषिकेश उर्फ ऋषु मिश्रा

मु.अ.सं.- 148/2026

धारा- 8/21/60 एन.डी.पी.एस. एक्ट

थाना- चौबेपुर, वाराणसी।

दिनांक 01.06.2026

आवेदक **रितेश कुमार मिश्रा** की ओर से अवमुक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी वाहन संख्या UP65ES5196 TVS Raider मोटर साइकिल का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी का वाहन उपरोक्त मुकदमा में फर्जी तरीके से थाना चौबेपुर में सीज कर दिया गया है। प्रार्थी का भाई ऋषिकेश उर्फ ऋषु मिजा दिनांक 31.03.2026 को शाम के समय करीब 3 बजे बाजार जाने के लिये मांग कर ले गया था। प्रार्थी का कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। न्यायालय/विवेचक उपरोक्त वाहन को जब भी तलब करेगा तो उसे न्यायालय/विवेचक के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी उपरोक्त वाहन के रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही उसको बेचेगा। न्यायालय जो भी शर्त अधिरोपित करेगा उसका प्रार्थी अनुपालन करेगा। प्रार्थी उपरोक्त वाहन के रिलीज/सुपुर्दगी के संबंध में उचित जमानत व मुचलका देने को तैयार है। उपरोक्त स्थिति में वाहन उपरोक्त को उचित जमानत व मुचलके पर सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित है।

थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त का भाई ऋषिकेश मिश्रा उर्फ रिशु उक्त वाहन से माल की सप्लाई करता था। फर्द बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रार्थी का वाहन से मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी की जाती थी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक रितेश कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाणपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक रितेश कुमार मिश्रा प्रश्नगत वाहन संख्या UP65ES5196 का पंजीकृत स्वामी है।

प्रश्नगत वाहन से उसके भाई ऋषिकेष मिश्रा उर्फ रिशु मिश्रा द्वारा मादक पदार्थ हेरोइन की सप्लाई करना कहा गया है तथा उक्त बाहन को एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन जब्त कर थाना कोतवाली में रखा गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधि व्यवस्था **विश्वजीत डे बनाम असम राज्य 2025 आई.एन.एस.सी. 32** में यह अवधारित किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन अपराधों में वाहन, जिनसे मादक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थों को ले जाया जाना अभिकथित किया गया है, को विचारण के पश्चात ही जब्त किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि यदि किसी वाहन के मालिक को मादक पदार्थ की तस्करी की जानकारी नहीं थी और उसे आरोपी नहीं बनाया गया है तो विचारण के दौरान वाहन उसके मालिक को सुपरदारी पर वापस किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक के भाई ऋषिकेश मिश्रा उर्फ रिशु मिश्रा के विरुद्ध

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.06.01 11:58:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है तथा विचारण लम्बित है। पुलिस द्वारा आवेदक रितेश कुमार मिश्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है। स्वीकृत रूप से वाहन थाने पर खड़े रहने से उसके क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एंव माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त सुस्थापित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत वाहन, दौरान विचारण प्रार्थी/आवेदक रितेश कुमार मिश्रा को सुपरदारी पर अवमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक रितेश कुमार मिश्रा का प्रार्थना पत्र बाबत वाहन अवमुक्त किये जाने, स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत प्रकरण के दौरान विचारण तक वाहन संख्या UP65ES5196 को आवेदक रितेश कुमार मिश्रा की सुपरदारी में उसके द्वारा मुबलिग 90,000/- (नब्बे हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू तथा अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त किया जाता है-

1. दौरान मुकदमा प्रार्थी उक्त वाहन के रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करेगा।
2. आवेदक प्रश्नगत वाहन को दौरान विचारण अथवा विचारण की समाप्ति पर न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर जब्तीकरण हेतु अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त शर्तों के अधीन थानाध्यक्ष चौबेपुर, जिला वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजातों की जांच/सत्यापन करने, पंजीयन प्रमाणपत्र से इंजन नम्बर व चेचिस नंबर का मिलान करने व आवेदक के खर्चे पर प्रश्नगत वाहन का कलर्ड फोटोग्राफ कराकर उपरोक्त **वाहन संख्या UP65ES5196 TVS Raider,** यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो वाहन स्वामी की उचित शिनाख्त कर उसके पक्ष में अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

थानाध्यक्ष को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत वाहन का कलर्ड फोटोग्राफ संबंधित पत्रावली पर रक्षित किये जाने हेतु न्यायालय को प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।

(मनोज कुमार-II)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.
(14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड- यू0 पी01827

दिनांकः 01.06.2026
Nikhil